वित्तीय स्वीकृति

संख्य -40/1620/52-3-14-बजट(2)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -3, □□□□: दिनांक अगस्त, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंश /पारिवारिक पेंशन तथा च्यूटी के भुगतान हेतु वित्तीय (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र : 0-591/52-3-14-□□□(2)/2014, दिनांक 22.4.2014 के अनुक्रम में तथा वि (□□-व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप संख -□□-1- 2457/□□-2014-231/2014 दिनांक 22.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(10) □ 2(13) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में दिनांक 8.11.2000 तक सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा दिनांक 8.11.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों □□ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि क्रमशः 0 35.00 लाख तथा 0 1500.00 लाख के सापेक्ष क्रमशः 0 14.59 लाख तथा 0 625.00 लाख अर्थात कुल रू0 639.59 □□ (रू0 □□ □□ उन्तालिस लाख उनसठ हजार) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के सापेक्ष अधिकारियें/कर्मचारियों को देय पेंशनादि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का / उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन कं 04 माह मं उपलब्ध कराय □□□□

(4) □□□□ □□ □□□ (एलाॅॅटमेन्ट माः) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरका /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसे निवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी □□ □□□□ □□□□□□□□□ □0-591/52-3-14- □□□(2)/2014, दिनांक 22.4.2014 द्वारा कुल रू0 5,11,66,000/- की धनराशि पूर्व ही अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्य-48 के लेखाषीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-109-राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को - आयोजनेत्तर-03-पेंशन आदि का भुगतान-0301-दिनांक 08.11.2000 □□ सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/ परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी-33-पेंशन/ आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा 0302- दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/परिवारिक पेंशन तथा च्युटी-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के नामे डाला जायेगा।

4- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्य -1620(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशाल , □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -1

आज्ञा स,

(vkj0 ,u0 f}osnh)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in